न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, झाड़ोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र बन्शीवाल, आर.जे.एस.

प्रकरण संख्या 19/2016 रे.फौ.
प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 03/2016 पुलिस थाना ओगणा
राजस्थान राज्य

–– अभियोगी

बनाम

वाला पिता दीता डूंगरी उम्र 40 साल निवासी पिपलबारा थाना ओगणा, जिला उदयपुर

––अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः–
1 सहायक लोक अभियोजक अनुपस्थित ।
2 श्री सुनिल भजात वि.अधि.अभियुक्त की ओर से ।

निर्णय दिनॉक– 29–02–2016

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनॉक 05–01–2016 को प्रार्थी निकेश कुमार कास्टेबल सं 251 पुलिस थाना ओगणा द्वारा दर्ज रिपोर्ट प्रपी–1 के अनुसार दिनांक 01–01–2016 को एक मुखबीर सूचना के अनुसरण में वह तथा जाब्ते के मनीकरण सं 1880 सुबह 6.00 बजे थाने से रवाना होकर उन्दरा रोड पर पहंच पर नाकाबंदी कर रहे थे तो 8.30 बजे पिपलबारा की ओर सेएक व्यक्ति अपने हाथ में एक प्लास्टिक का जरिकेन लेकर आता हुआ मिला, जिसे रूकवाया व पूछताछ की तो उसने अपना नाम वाता पिता दीता होना बताया व तलाशी ली तो उसके कब्जे मे पाये गए जरिकेन मे 10 लीटर देशी महुवे की शराब भरी हुई मिली,, जिसको रखने का उसके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं होना पाया जिस पर उक्त शराब को जब्त किया जाकर बाद कार्यवाही मुलजिम मय माल को लेकर थाने पर लाये...आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना ओगणा जिला उदयपुर ने प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 03/2016 अंतर्गत धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम.में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्त वाला के विरूद्व धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

अभियुक्त के उपस्थित आने पर प्रकरण में बहस चार्ज सुनकर उसे धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अनवीक्षा चाही । जिस पर अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध साबित करने के क्रम में अभियेाजन की ओर से साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 निकेश कुमार को परीक्षित कराया गया व दस्तावेजात प्रपी–1 लगायत प्रपी–3 को प्रदर्शित करवाया।

इसी प्रक्रम पर अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पत्रावली पर मौजूद फर्दांतो का स्वेच्छया स्वीकार किया व आरोपित अपराध में स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जिस पर साक्ष्य बंद कर बयान मुलजिम लिये गये

जिसमें अभियोजन साक्ष्य को सही बताते हुये स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया जाना जाहिर किया ।

बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः

''...आया आरोपित दिनांक, स्थान व समय पर अभियुक्त के सचेतन्य व उसकी जानकारी में एक जरिकेन में 10 लीटर देशी महुवे की शराब बरामद हुई, जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नही था?''

यदि हां तो अभियुक्त किस अपराध से दण्डनीय है ?

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबध में आयी उपरोक्त अभियोजन पक्ष की मोखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है जिसके लिये अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोष सिद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः अभियुक्त वाला पिता दीता डुंगरी उम्र 40 साल निवासी पिपलबारा थाना ओगणा, जिला उदयपुर को धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम के अपराध में दोष सिद्व किया जाता है ।

राजेन्द्र बन्शीवाल
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झाडोल,जिलाउदयपुर

<u>सजा के प्रश्न पर</u>

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है , पूर्व की कोई दोष सिद्वि नहीं है अभियुक्त ग्रमीण परिवेश से होकर गरीब व्यक्ति है जिसने लोक अदालत की भावना से आरोपित अपराध स्वीकार किया है। बरामद शराब की मात्रा भी अत्याधिक नहीं है, अतः अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे।

सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है,पूर्व की कोई दोष सिद्वि नहीं है, अभियुक्त ग्रमीण परिवेश से होकर गरीब व्यक्ति है जिसनं लोक अदालत की भावना से आरोपित अपराध स्वीकार किया हे। अतः प्रकरण के तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आरोपित अपराध में परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त वाला पिता दीता डुंगरी उम्र 40 साल निवासी पिपलबारा थाना ओगणा, जिला उदयपुर को अपराध धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिये नैक चलनी बाबत 5000 रूपये का स्वयं का मुचलका इस शर्त के साथ पेश कर तस्दीक कराने पर कि उक्त अवधि में वे परिशान्ति व सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा एवं जब भी न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर सजा भुगतने के

लियें उपस्थित होगा तो अभियुक्त को परीविक्षा पर छोड़ा जाता है एवं साथ ही अभियुक्त पर अभियेाजन व्यय स्वरूप रूपये **100/–** अक्षरे एक सौ रूपये भी अधिरोपित किये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा शराबअ आदि के नियमानुसार निस्तारण हेतु बाद गुजरने मियाद अपील संबधित को तहरीर जारी हो।

राजेन्द्र बन्शीवाल
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झाडोल,जिलाउदयपुर

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29–02–2016 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजेन्द्र बन्शीवाल
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झाडोल,जिला उदयपुर